भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2601

दिनांक 19.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

बड़े शहरों में पानी की कमी

2601. डा॰ कनवर दीप सिंहः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के केपटाऊन शहर की तरह देश के बड़े शहरों को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) और (ख) संविधान के अनुसार शहरी जल आपूर्ति सेवाएँ राज्यों की विषय वस्तु है और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के कार्य हैं। वे दैनिक आधार पर जल आपूर्ति सेवाओं के लिए उत्तरदायी हैं और इसकी वृद्धि, विस्तार आदि के लिए योजनाएं बनाते है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमएचयूए) समय-समय पर चलाए जा रहे विभिन्न मिशनों/कार्यक्रमों के अंतर्गत अितरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रदान करके जल आपूर्ति सेवाएँ उपलब्ध कराने में राज्यों और यूएलबी के प्रयासों का संपूरण करता है।

इस मंत्रालय में एमएचयूए से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के समान हमारे देश के प्रमुख नगरों में पानी की भारी कमी नहीं है। तथापि, गर्मियों में गर्म और सूखे मौसम के कारण मौसमी कमी हो सकती है और सर्विस एरिया के अंदर विभिन्न कारकों जैसे- भूभाग, विकासाधीन फ्रिंजस आदि के कारण कमियां हो सकती हैं। ऐसे मामलों में, पब्लिक वाटर यूटिलिटी, मोबाइल टैंकरों, स्टेटिक नेबरहुड स्टोरेज टैंक्स आदि द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था करती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय जल नीति 2012 के अनुसार, मानवों और पशुओं के लिए पेयजल उपलब्ध संसाधनों पर पहला कर्तव्य है।

(ग) अटल मिशन फॉर रेजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (एएमआरयूटी) के अंतर्गत, एमएचयूए 1 लाख अथवा इससे अधिक आबादी वाले 500 नगरों, राजधानी नगरों और अन्य महत्वपूर्ण नगरों में शहरी जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को एसीए उपलब्ध करा रहा है।